प्रेषक,

रवि शंकर गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास
उ0प्र0, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 07 अप्रैल, 2021**

विषय-वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 के अंतर्गत निदेशन एवं प्रशासन मद में प्राविधानित धनराशि निवर्तन पर रखे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-01/वित्त संभाग-3/नियो0/नान प्लान/2021-22, दिनांक 01 अप्रैल,2021 का सदंर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-16 अंतर्गत लेखाशीर्षक निदेशन एवं प्रशासन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 5242.61 लाख के सापेक्ष रू0 3242.61 लाख निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विभाग) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास-001 निदेशन तथा प्रशासन-03-सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें में प्राविधानित धनराशि रू0 5442.61 लाख के सापेक्ष रू0 3242.61 लाख (रूपये बत्तीस करोड़ बयालिस लाख इकसठ हजार मात्र) के व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित मानक मदों में उनके सम्मुख स्तंभ-3 में अंकित धनराशि आपके निवर्तन पर निम्न शर्तो के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(धनराशि- लाख रूपयों में)

ब्योरेवार शीर्ष /मानक मद	वित्तीय वर्ष 2021-22 में आय-व्ययक प्राविधान	प्राविधान के सापेक्ष स्वीकृत की जा रही धनराशि
लेखाशीर्ष-''2404-डेरीविकास-001निदेशन एवं प्रशासन - 03 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनाएं''		
01- वेतन	3840.00	2300.00
03- मँहगाई भत्ता	1350.00	690.00
04- यात्रा व्यय	10.00	10.00
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	8.00	8.00
06- अन्य भत्ते	2.00	2.00
08- कार्यालय व्यय	6.00	6.00
09- विद्युत देय	6.00	6.00
10- जलकर/जल प्रभार	0.50	0.50

.....2/-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11- लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	2.50	2.50
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3.00	3.00
13- टेलीफोन पर व्यय	2.00	2.00
15- गाड़ियों के अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	9.00	9.00
16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	7.00	7.00
17- किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	15.00	15.00
18- प्रकाशन	0.01	0.01
42- अन्य व्यय	0.10	0.10
45- अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1. 00
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.00	2. 00
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	5.00	5.00
49- चिकित्सा व्यय	35.00	35.00
51- वर्दी व्यय	1.00	1.00
55- मकान किराया भत्ता	130.00	130.00
58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	7.50	7.50
योग-	**5442.61**	**3242.61**

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों/ समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा । धनराशि का व्यय निर्धारित प्रक्रिया एवं सक्षम स्तर का अनुमोदन लेते हुए ही किया जाय।

(2) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/ सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(3) स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण /व्यय करते समय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 3/2021 /बी-1-375/दस- 2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृति की जा रही धनराशि का निर्धारित मानक मदों में व्ययोपरान्त मदवार उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विभाग) के अधीन लेखा शीर्षक- "2404-डेरी विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन-03 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त वित्तीय स्वीकृति वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/ 2021 / बी-1-375/ दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 के परिप्रेक्ष्य में निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

(रविशंकर गुप्ता)
विशेष सचिव।

...3/-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-14 /2021/396(1)/53-2-2021-10(बजट)/17, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम/,द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
3- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्यकोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- आहरण एवं वितरण अधिकारी, दुग्ध आयुक्त कार्यालय, दुग्धशाला विकास, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
8- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।